आदेश

आशु संवर्ग से प्रत्यावर्तित/प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षकों की वरीयता निर्धारण के बिन्दु पर नीतिगत निर्णय हेतु दिनांक 25.10.2013 को पुलिस महानिदेशक पर्षद की आयोजित बैठक में उपलब्ध अभिलेखों की गहन समीक्षा की गयी। अभिलेखों की समीक्षा के उपरांत पाया गया कि :–

1 गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 11691 दिनांक 21.12.92 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार " आशु अवर निरीक्षक एवं अवर निरीक्षक का संवर्ग अलग अलग है, दोनो की नियुक्ति प्रकिया भी भिन्न है। अतः नियमानुसार आशु अवर निरीक्षक के रूप में की गयी सेवा की गणना वरीयता के लिए अवर निरीक्षक में प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप किया जाना उचित नहीं है।" पुलिस हस्तक 1978 में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आशु संवर्ग के कर्मियों को अनिवार्यतः 5 वर्ष के बाद सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, बल्कि प्रावधान हैं, कि .. they will ordinarily be reverted to district work after five years.

2 इस विषय पर पूर्व में दिनांक 13.09.2003 को महानिदेशक पर्षद द्वारा गहन विचार विमर्श किया गया था एवं यह निर्णय लिया गया कि "अब से आशु एवं टंकक संवर्ग से सामान्य संवर्ग में आनेवाले पदाधिकारियों की वरीयता सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन के आधार पर होगी न कि उनके मूल पद पर नियुक्ति की तिथि से। यह निर्णय मूलतः CWJC 6371/ 90 भागवत प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम भूदेव तिवारी एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP (C) 568/94 के खारिज होन के परिप्रेक्ष्य में लिया गया था।

3 तत्कालीन महानिदेशक पर्षद के निर्णय के अनुसार आदेश सह ज्ञापांक 3537/पी.2 दिनांक 22.09.2003 निर्गत है, जिसमें सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तन की तिथि को वरीयता का आधार माना गया है। इसी मापदण्ड के आधार पर अवर निरीक्षकों की राज्य वरीयता सूची ज्ञापांक 4265/पी.2 दिनांक 21.11.03 (प्रथम खण्ड) एवं ज्ञापांक 4932/पी. दिनांक 02.11.04 द्वारा निर्गत हुई थी, इस वरीयता सूची में आशु अवर निरीक्षक से सामान्य अवर निरीक्षक संवर्ग में प्रत्यावर्तित पदाधिकारियों की वरीयता प्रत्यावर्तन की तिथि से तथा आशु स0अ0नि0 से सामान्य स0अ0नि0 मे प्रत्यावर्तित एवं तदोपरांत सामान्य अवर निरीक्षक में प्रोन्नत पदाधिकारियों की वरीयता अवर निरीक्षक की कोटि में प्रोन्नति की तिथि के आधार पर निर्धारित की गयी है।

4 सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0 11211/2003 सूर्यनाथ सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश में अंकित निष्कर्ष के आधार पर पुलिस आदेश 291/08 निर्गत हुआ, जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि आशु अ0नि0/आशु स0अ0नि0 में नियुक्ति की तिथि के पाँच वर्ष के बाद की तिथि से सामान्य संवर्ग में वरीयता निर्धारित की जायेगी। यह आदेश वैसे पदाधिकारियों पर लागू होगा, जो अभी तक प्रत्यावर्तित नहीं हुए हैं एवं प्रत्यावर्तन चाहते हैं। इस आदेश को किसी स्तर से अब तक चैलेंज नहीं किया गया है।

5 श्री कुमोद कुमार एवं अन्य द्वारा ज्ञापांक 3537/पी.2 दिनांक 22.09.2003 के विरूद्ध झारखण्ड उच्च न्यायालय में भी एक याचिका डब्ल्यू0पी0(एस0) 4272/2006 दायर किया गया था। यह याचिका भी सूर्यनाथ सिंह के मामले में पारित आदेश के अनुरूप खारिज हुई। इसके विरूद्ध श्री कुमोद कुमार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 18399–18400/2008 दायर किया है, जिसमें पुलिस मुख्यालय, बिहार की ओर से भी प्रति शपथ पत्र दायर किया गया है। यह वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

6 सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित/प्रोन्नत पुलिस अवर निरीक्षक की वरीयता आशु अ0नि0/स0अ0नि0 में नियुक्ति/प्रोन्नति के पाँच वर्ष बाद की तिथि के आधार पर ज्ञापांक 2622/पी.2 दिनांक 13.07.2010 द्वारा संशोधित की गयी थी। इस संशोधन के विरूद्ध श्री शंभू शरण प्रसाद सिंह ने सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 5328/2011 दायर किया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ज्ञापांक 2622/पी. 2 दिनांक 13.07.2010 को आवेदक के संदर्भ में निरस्त कर दिया एवं यह ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि :–The stand taken by the State in the counter affidavit is basically hiding behind a decision rendered in the case of Surya Nath Singh (supra) but the decision may have prospective effect but how it will affect the rights which have already been created in favour of the person who had already been given the benefits something which is required to be explained by the State''

7 ज्ञापांक 1406/पी.2 दिनांक 29.03.08 द्वारा निर्गत पुलिस आदेश 291/08 वैसे पदाधिकारियों पर लागू होता है, जो इस आदेश के निर्गत होने की तिथि तक प्रत्यावर्तित नहीं हुए थे एवं प्रत्यावर्तन चाहते थे। अतः इस आदेश को आधार बनाकर ज्ञापांक 2622/पी.2 दिनांक 13.07.2010 द्वारा किया गया वरीयता संशोधन वस्तुतः पुलिस आदेश 291/08 के अनुकूल नहीं है।

आशु संवर्ग से प्रत्यावर्तित अवर निरीक्षकों की वरीयता के बिन्दु पर पुलिस उप महानिरीक्षक, डकैती निरोध, अपराध अनुसंधान विभाग की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय चयन पर्षद ने विचार किया था एवं यह मंतव्य दिया गया कि दिनांक 29.03.08 के पूर्व आशु संवर्ग से सामान्य संवर्ग में प्रत्यावर्तित अवर निरीक्षकों की वरीयता आशु अ0नि0 में नियुक्ति/प्रोन्नति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। उक्त मंतव्य के अनुरूप ज्ञापांक 22/पी.2 दिनांक 04.01.2013 इस शर्त के साथ निर्गत हुआ कि इसके आधार पर किया गया वरीयता निर्धारण/संशोधन सी.डब्ल्यू.जे.सी. 5328/2011 शंभू शरण प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश के विरूद्ध दायर एल.पी.ए.सं0 1818/2012 में पारित होनेवाले न्यायादेश से प्रभावित होगा।

8 समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि वरीयता निर्धारण के संदर्भ में केन्द्रीय चयन पर्षद का मंतव्य युक्तिसंगत नहीं है। इसे लागू करना माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय एवं राज्य सरकार के निर्देश के प्रतिकूल होगा। इतने लंबे अंतराल के बाद वरीयता निर्धारण के आधार में परिवर्तन एवं तदनुसार भूतलक्षी प्रभाव से वरीयता क्रम में संशोधन से पूर्व से निर्धारित वरीयता प्रभावित एवं अस्त व्यस्त हो जा रही है। वस्तुतः जो तथ्य उपर अंकित किये गये हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि ज्ञापांक 1406/पी.2 दिनांक 29.03.08 द्वारा निर्गत पुलिस आदेश 291/08 के पूर्व date of entry/ appointment in the cadre of Sub Inspector ही वरीयता निर्धारण का आधार है। किसी भी आदेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होता है। श्री शंभू शरण सिंह के मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है कि सूर्यनाथ सिंह के मामले में पारित न्यायादेश का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा।

अतः महानिदेशक पर्षद के निर्णयानुसार ज्ञापांक 22/पी.2 दिनांक 04.01.2013 द्वारा निर्गत आदेश रद्द किया जाता है। साथ ही साथ सी.डब्ल्यू.जे.सी स0 5328/2011 श्री शंभू शरण प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में ज्ञापांक 2622/पी.2 दिनांक 13.07.2010 द्वारा निर्गत वरीयता संशोधन आदेश को भी रद्द किया जाता है।

पूर्ण विचारोपरांत महानिदेशक पर्षद द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ज्ञापांक 1406/पी.2 दिनांक 29.03.08 द्वारा निर्गत पुलिस आदेश 291/08 आज की तिथि में भी प्रभावी है। इसके निर्गत होने के बाद की तिथि से आशु अ0नि0/आशु स0अ0नि0 में नियुक्त पदाधिकारियों को पॉच वर्ष के बाद प्रत्यावर्तित किया जाना है एवं तदनुसार किये गये प्रत्यावर्तन की तिथि के आधार पर सामान्य अ0नि0/स0अ0नि0 में वरीयता निर्धारित की जानी है, जो पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी। दिनांक 29.03.08 के पूर्व के मामलों में जो आशु अवर निरीक्षक से सामान्य अवर निरीक्षक में प्रत्यावर्तित हुए है, उनकी वरीयता प्रत्यावर्तन की तिथि से तथा जो आशु स0अ0नि0 से सामान्य स0अ0नि0 में प्रत्यावर्तित हुए एवं तदोपरांत सामान्य अवर निरीक्षक में प्रोन्नत हुए, उनकी वरीयता सामान्य अ0नि0 में प्रोन्नति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

उपर्युक्त आधार पर तैयार वरीयता सूची श्री कुमोद कुमार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस0एल0पी0 (सी0) संख्या 18399–18400/2008 एवं सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 5328/2011 श्री शंभू शरण प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर एल0पी0ए0 सं0 1818/2012 में पारित होने वाले आदेश से प्रभावित होगी।

पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार।

06/11/13

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–3077/पी0 2
7-23-12-2013

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार पटना।
पटना, दिनांक– 06/11/13

प्रतिलिपि–

सभी पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/सभी रामादेष्टा, बिहार को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

06/11/13

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।